(2)

न्यायालय राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर
समक्ष
श्रीमती मधु खरे
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1880–तीन/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 28–4–14 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, करैरा जिला शिवपुरी – प्रकरण कमांक 49/11–12 अपील

1– बरजोर सिंह पुत्र काशीराम गुर्जर
2– मोहकम सिंह पुत्र काशीराम गुर्जर
दोनों निवासी ग्राम धवारा तहसील
करैरा जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश ---आवेदकगण

विरूद्ध

श्रीमती अंगूरी पत्नि रामसिंह गुर्जर
पुत्री काशीराम निवासी ग्राम धावरा
तहसील करैरा जिला शिवपुरी ---अनावेदक

(श्री मुकेश भार्गव अभिभाषक – आवेदक)
(श्री आर.एस.सेंगर अभिभाषक – अनावेदक)

अ ा दे श

(आज दिनांक 01 –10– 2015 को पारित)

अनुविभागीय अधिकारी, करैरा जिला शिवपुरी के प्रकरण कमांक 49/11–12 अपील में पारित आदेश दि. 28–4–14 के विरूद्ध यह निगरानी म.प्र. भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि काशीराम पुत्र कम्मोदा गूजर के नाम ग्राम धवारा में खाता कमांक 71 पर कुल किता 7 कुल रकबा 3.43 हैक्टर भूमि थी। इस खातेदार की मृत्यु उपरांत ग्राम की नामान्तरण पंजी के सरल कमांक 6 पर आदेश दिनांक 28–7–1992 से आवेदकगण का नामान्तरण किया गया। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक ने अनुविभागीय अधिकारी करैरा के समक्ष दिनांक 6–9–11 को अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी करैरा ने प्रकरण कमांक 49/11–12 अपील दर्ज कर

हितबद्ध पक्षकारों को सुनकर आदेश दिनांक 28-4-14 पारित किया तथा अनावेदक व्दारा अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा करते हुये ग्राम की नामान्तरण पंजी के सरल क्रमांक 6 पर आदेश दिनांक 28-7-1992 से आवेदकगण के हित में हुआ नामान्तरण निरस्त करते हुये स्व-स्तर से हितबद्ध पक्षकारों की सुनवाई हेतु प्रकरण संज्ञान में लिया। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से विचार योग्य बिन्दु है कि मृतक काशीराम गुर्जर के तीन संतानें क्रमशः आवेदकगण एंव अनावेदक हैं। मृतक काशीराम के खाता क्रमांक 71 पर कुल किता 7 कुल रकबा 3.43 हैक्टर पर कृषि भूमि पर ग्राम की नामान्तरण पंजी के सरल क्रमांक 6 पर आदेश दिनांक 28-7-1992 से आवेदकगण का नामान्तरण किया गया है एंव अनावेदक के नाम पर नामान्तरण के समय विचार नहीं किया गया है। नामान्तरण पंजी पर पटवारी व्दारा मृतक काशीराम के उत्तराधिकारियों का सजरा भरा गया है जिसमें केवल बरजोर सिंह एंव मोहकम सिंह को काशीराम का उत्तराधिकारी बताया गया है। प्रकरण में उत्पन्न परिस्थितियों से यह भी परिलक्षित है कि अनावेदक मृतक काशीराम की पुत्री है । यह भी विचार का विषय है कि काशीराम व्दारा धारित कृषि भूमि की एंव काशीराम के मरणोपरांत उस भूमि में उसका हिस्सा होने की जानकारी अनावेदक के अभिज्ञान में न हो, इससे भी इंकार नहीं किया जा सकता, किन्तु यह जांच का विषय है। जहां तक अनुविभागीय अधिकारी, करैरा व्दारा अनावेदक के अवधि विधान की

धारा-5 के आवेदन में वर्णित तथ्यों पर विचार कर लगभग 20 वर्ष 2 माह के विलम्ब को क्षमा किये जाने का प्रश्न है ? (अवधि विधान की धारा-5 एंव म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 47 में वर्णित है कि न्यायालय स्वविवेक का उपयोग कर उदार-रूख अपनाकर विलम्ब क्षमा कर सकते हैं) । अनुविभागीय अधिकारी, करैरा जिला शिवपुरी द्वारा प्र.क. 49/11-12 अपील में पारित आदेश दि. 28-4-14 के अंतिम पद के अवलोकन से पाया गया है कि उन्होंने उभय पक्ष को सूचना एंव सुनवाई का समुचित अवसर देने एंव नामान्तरण प्रकिया अनुसार कार्यवाही संज्ञान में लेने का निर्णय लिया है जहॉ उभय पक्ष को प्रवल रूप से अपना-अपना पक्ष प्रस्तुत करने का उपचार प्राप्त है, जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 28-4-14 में हस्तक्षेप का औचित्य नजर नहीं आता है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी करैरा व्दारा प्रकरण कमांक 49/11-12 अपील में पारित आदेश दिनांक 28-4-14 हस्तक्षेप योग्य नहीं है। अतः निगरानी अमान्य की जाती है।

(श्रीमती मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर